**प्रेस नोट		पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद		दिनांक 19.05.2026**

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद ।

दिनांक 14.05.2026 को वादी द्वारा थाना लोनी बॉर्डर पर तहरीर दी कि अज्ञात चोरों द्वारा घर के बाहर खडी मोटरसाइकिल को चोरी कर ले जाना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा 303(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया ।

दिनांक 18.05.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त 1.सोनू उर्फ शोकीन पुत्र असगर निवासी कंचनपार्क ,चार खम्भे वाली गली में गली नम्बर 02 ,थाना लोनी गाजियाबाद 2.नूर मोहम्मद उर्फ लल्ला पुत्र असगर निवासी कंचनपार्क ,चार खम्भे वाली गली में गली नम्बर 02 ,थाना लोनी गाजियाबाद को बेहटा अण्डरपास थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद हुई । उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि हम दोनों सगे भाई हैं ,हम दोनों नशे के आदी हैं पैसे न होने पर हम चोरी कर लेते हैं, यह मोटरसाइकिल भी हमने करीब एक हफ्ते पहले राजीव गार्डन, मंगल बाजार से चोरी की थी जिसको हम बेचने के इरादे से घर से निकले थे कि पुलिस ने हमें चेकिंग में पकड़ लिया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पता-

1.सोनू उर्फ शोकीन पुत्र असगर निवासी कंचनपार्क ,चार खम्भे वाली गली में गली नम्बर 02 ,थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष ।

2.नूर मोहम्मद उर्फ लल्ला पुत्र असगर निवासी कंचनपार्क, चार खम्भे वाली गली में गली नम्बर 02, थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद ।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

उक्त चोरी की मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है तथा पूर्व में अभियुक्त नूर मौहम्मद पर थाना लोनी पर चोरी का माल बरामदगी के 02 अभियोग व 01 अभियोग आबकारी अधिनियम का पंजीकृत है । अभियुक्त सोनू उर्फ शौकीन पर थाना ट्रोनिका सिटी पर चोरी का माल बरामदगी के सम्बन्ध में 01 अभियोग तथा थाना लोनी पर चोरी का 01 अभियोग तथा मादक पदार्थ अधिनियम का 01 अभियोग तथा छिनैती का 01 अभियोग पंजीकृत हैं । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम ।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार।

दिनांक 07.05.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त समीर निवासी थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद द्वारा वादिया की पुत्री उम्र करीब 17 वर्ष को बहला फुसलाकर भगा ले जाना व उसके परिवारीजन द्वारा धमकी देना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा 137(2) /87/351(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पीड़िता की बरामदगी व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात पीड़िता को बरामद किया गया व पीड़िता के बयानों के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 351(3) बीएनएस का लोप किया गया व धारा 140(3),61(2) ,64(1),115(2) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गई।

आज दिनांक 19.05.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तों 1.समीर पुत्र यूनुस निवासी राधा विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष , 2.मौ0 मोनिस खान पुत्र कय्युम खान निवासी सराय पोस्ट उमरी थाना दिबियापुर जिला औरैया उम्र करीब 32 वर्ष व अभियुक्ता 3. पिंकी पत्नी मौ0 मोनिस निवासी सराय पोस्ट उमरी थाना दिबियापुर जिला औरैया हाल पता राधा विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त समीर ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं और पीड़िता एक दूसरे को जानते थे तथा बातचीत करते थे। मैं पीड़िता को अपनी बहन पिंकी व जीजा मोनिस के साथ बहला फुसलाकर भगा ले गया था तथा मैंने उसके साथ गलत काम कर दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पता –

1.समीर पुत्र यूनुस निवासी राधा विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।

2. मौ0 मोनिस खान पुत्र कय्युम खान निवासी सराय पोस्ट उमरी थाना दिबियापुर जिला औरैया उम्र करीब 32 वर्ष।

3. पिंकी पत्नी मौ0 मोनिस निवासी सराय पोस्ट उमरी थाना दिबियापुर जिला औरैया, हाल पता राधा विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तों के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम–

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना निवाड़ी पुलिस द्वारा “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान 03 शातिर शराब/ गांजा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/ निशादेही पर 94 बोतल (07 पेटी व 10 बोतल) अवैध शराब हरियाणा मार्का, 739 ग्राम गांजा (पैकेट/पुडियाँ) व इलेक्ट्रॉनिक काँटा तथा 1120/-रुपये नगद बरामद।

दिनांक 18.05.2026 को थाना निवाड़ी पुलिस द्वारा गश्त व चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत 03 शातिर शराब /गांजा तस्कर अभियुक्त 1.हिमांशु कुमार पुत्र सुजीत सिंह निवासी वार्ड नं0 15 कस्बा व थाना मोकामा जनपद पटना बिहार, 2. अनमोल पुत्र मनोज कुमार निवासी वार्ड नं0 10 कस्बा व थाना मोकामा जनपद पटना बिहार, 3. मनीष कुमार पुत्र मनोज कुमार निवासी लहरिया टोला कस्बा व थाना मोकामा जनपद पटना बिहार को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण कनन ग्रीन सोसाइटी में किराये के फ्लैट में रहकर शराब व गांजा तस्करी का काम कर रहे थे। सहायक पुलिस आयुक्त मोदीनगर के नेतृत्व में स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना निवाड़ी पुलिस टीम द्वारा उक्त फ्लैट पर छापा मारकर तलाशी में 07 पेटी व 10 बोतल (कुल 94 बोतल) अवैध शराब ब्लेंडर प्राइड हरियाणा मार्का, 739 ग्राम गांजा (पैकेट/ पुडियाँ) व इलेक्ट्रानिक कांटा एवं 1120/- रुपये नगद बरामद हुए। अभियुक्तगण के विरुद्ध सुसंगत धारा 60/63 आबकारी अधिनियम व 20(B)(ii)(a)/25/29 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग पटना बिहार के रहने वाले हैं, बिहार में वर्ष 2016 से शराब बिक्री बंद है जिस कारण हमने मिलकर योजना बनायी कि हरियाणा से सस्ती शराब खरीदकर बिहार में महंगे दाम में बेचेगें तथा बिहार से गांजा लाकर यूपी में बेचकर ज्यादा मुनाफा कमाया करेगें। हमारी योजना थी कि शराब को हम रेल के माध्यम से यहां से बिहार भेजेगें तथा वहां से नाजायज गांजा मंगाकर यहां पर पुडियाँ बनाकर चलते फिरते राहगीरो को बेचकर मुनाफा कमायेगें। यह क्षेत्र हम लोगो ने इसलिये चुना था क्योंकि हिमांशु वर्ष 2022 में मोदीनगर में करीब 10 दिन रहा था तथा हिमांशु को इस क्षेत्र की जानकारी थी। हम 10-12 दिन पहले यहां आये थे तथा वही से अपने साथ गांजा भी लाये थे। यहां आकर हमने ब्रोकर के माध्यम से एक कमरा किराये पर लिया था। इसके बाद साहिबाबाद से ऑनलाइन एक सेल्फ ड्राईव कार किराये पर ली और उसी कार मे हम लोग मुरथल हरियाणा से 10 पेटी शराब लेकर आये, जिनमें से 02 पेटी शराब हमने रेल के द्वारा बिहार भेज दी थी, बाकी जो हमारे पास रखी थी वो आपने बरामद कर ली है, यह गांजा भी हमने बिक्री करने के लिये ही रखा था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण -

1.हिमांशु कुमार पुत्र सुजीत सिंह निवासी वार्ड नं0 15 कस्बा व थाना मोकामा जनपद पटना राज्य बिहार, उम्र करीब 23 वर्ष।

2. अनमोल पुत्र मनोज कुमार निवासी वार्ड नं0 10 कस्बा व थाना मोकामा जनपद पटना राज्य बिहार, उम्र करीब 27 वर्ष।

3. मनीष कुमार पुत्र मनोज कुमार निवासी लहरिया टोला कस्बा व थाना मोकामा जनपद पटना राज्य बिहार उम्र करीब 18 वर्ष।

बरामदगी का विवरण -

- 07 पेटी व 10 बोतल (कुल 94 बोतल) अवैध शराब ब्लेंडर प्राइड हरियाणा मार्का
- 739 ग्राम गांजा (बडा पैकेट 680 ग्राम, 20 पुडियाँ वजन 59 ग्राम)

- गांजा तोलने के लिये एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक काँटा
- 1120/- रुपये नगद

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्तों के विरुद्ध थाना निवाड़ी पर उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना निवाड़ी पुलिस टीम।